प्रेस नोटः- जनपद हरदोई **दिनांकः- 22.07.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना कछौना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 205/2016 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2016 को वादी द्वारा थाना कछौना पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नरेश पुत्र स्व0 दिल्ला निवासी ग्राम तेरवा पतसेनी जनपद हरदोई द्वारा वादी की माता को डंडे से वार कर घायल कर दिया जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना कछौना पर मु0अ0सं0 205/16 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 22.07.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-07 कोर्ट जनपद हरदोई द्वारा मु0अ0सं0 205/16 धारा 302 भादवि0 के आरोपी नरेश पुत्र स्व0 दिल्ला निवासी ग्राम तेरवा पतसेनी जनपद हरदोई को आजीवन सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

नरेश पुत्र स्व0 दिल्ला निवासी ग्राम तेरवा पतसेनी जनपद हरदोई